न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 13/2021

श्री इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट संख्या 12 लाजवन्ती भवन सिविल लाइन टोंक राज
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 12-7-2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15-2-2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1 प्रार्थी द्वारा पेश आर.टी.आई. आवेदन संलग्न P – 1 है। जिसके तहत मुझे दी गई सूचना किता. – 13 संलग्न P – 2 ता 14 है। जो संलग्न P – 15 आदेश के तहत 26 रूपये जामा करवाने पर दी गई है। यहा प्रार्थी का निवेदन है कि आर.टी.आई. के तहत देय शुल्क को भविष्य में डी.एस.ओ. कार्यालय में ही जमा करने के आदेश भी आर.टी.आई. के तहत दिये जाये।

2 इस प्रथम अपील आर.टी.आई. का एक महत्वपूर्ण विन्दू यह भी है कि प्रत्यर्थी ने हमें देय राशन कितना बनता है आदि पर कोई प्रकाश नही डाला है, यहां हम वृद्ध दम्पती को मात्र दो माह का राशन 20 किग्रा. गेंहू व 2 किग्रा. चना पी.एम.ओ. के दखल के बार प्रत्यर्थी के निरीक्षक ने फोन पर राशन विक्रेता को आदेश देकर व मुझे वहा जाने का फोन कर दिलाया है।

अन्य देय राशन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है बावत् प्रत्यर्थी ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि इस बावत् आर.टी.आई आवेदन में सूचना मांगी गई है। अतः वांछित सूचना पूर्ण रूपेण दिये जाने के आदेश पारित किये जाये।

यह कि स्वंय प्रत्यर्थी के पत्र कमांक :- रसद/अभियोजन/2020/698 दिनांक 26.08.2020 जो कि संलग्न P – 10 से स्पष्ट है कि आंवटित दाल का वितरण राशन विक्रेता ने न कर अपराध किया है फिर भी उस पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही बावत खुलासा नहीं किया गया है।

आर.टी.आई. एक्ट लागू करने की पीछे सरकार का मुख्य उददेश्य यही था ताकि सरकारी काम काज में पारदर्शीता रहे। यहां स्पष्ट है कि राशन विक्रेता दोषी है, अपराधी हे जिसने हमें लम्बे अर्से से , कई वर्षो से कोई राशन नहीं दिया है, मात्र यह दो माह का 20 किग्रा. गेहु व 2 किग्रा. चना दिनांक 26.6.2020 को माह मई जून 2020 का दिया गया है वो भी प्रधानमत्री जी भारत सरकार के दखल के बाद डीएसओ कार्यालय के निरीक्षक ने दिलाया है।

बकाया राशन कितना है व क्या है, [illegible] उस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ? आदि पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है आर.टी.आई. आवेदन मुताबिक वांछित सूचना दिलाई जाय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

3 निवेदन है कि दी गई सूचना में संलग्न P – 10 व P - 11 पर गौर फरमावे दोनों ही दस्तावेज एक ही प्रकृति के होने से समान दस्तावेज है लेकिन फिर भी दोनो के अलग–अलग बतौर शुल्क 2–2 रूपये वसूले गये है जो कि नियमानुसार गलत व अवेध वसूली की परिभाषा में आता है, नियमानुसार दोषी कर्मी से वसूल कर दो रूपये का नियमानुसार रिफण्ड भी कराया जाय, अन्य उचित दण्डात्मक कार्यवाही भी दोषी के खिलाफ अमल में लाने की कृपा भी करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांक 1032 दिनांक 12–4–2021 से बिन्दुवार जवाब प्रेषित किया है कि–अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना के कम में अपील के बिन्दू संख्या 1 के सम्बन्ध में कि अपीलार्थी श्री इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट संख्या 12 लाजवन्ती भवन सिविल लाइन टोंक को दी गई सूचना की राशि नियमानुसार ली गई है।

अपील के बिन्दू संख्या 2 के सम्बन्ध में कि अपीलार्थी का राशनकार्ड नम्बर 200000227733 का आनलाईन अवलोकन करने पर राशनकार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नही है। अपीलार्थी ने कोविड–19 के दौरान राज्य सरकार के 'आदेशानुसार' प्रवासी/विशेष श्रेणी के परिवार को माह मई जून 2020 हेतु गेहु व दाल का रजिस्ट्रेशन कराने पर वितरण करने के आदेश अनुसार अपीलार्थी को माह मई व जून 2020 में 2 यूनिट का 2 माह 20 किग्रा. गेहु व 2 किग्रा. दाल राशन डीलर श्री मुरारीलाल वर्मा टोक शहर द्वारा वितरण किया गया है। आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राशन डीलर के विरूद्ध की गई कार्यवाही सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां चाही गयी थी जो आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गयी।

अपील के बिन्दू संख्या 3 के सम्बन्ध में कि अपीलार्थी द्वारा उसकी शिकायत पर राशन डीलर के विरूद्ध की गई कार्यवाही सम्बन्धी दस्तावेज चाहे गये थे, अपीलार्थी द्वारा एक ही प्रकृति की जो सूचना बतायी गयी है वो राशन डीलर को जारी किये गये नोटिस है, जो जारी होने वाली कार्यालय प्रति एवं दूसरा डीलर को तामील होकर प्राप्त होने वाल नोटिस की है एवं अपीलार्थी द्वारा चाही गयी समस्त सूचना कार्यालय के पत्र कमांक रसद/आरटीआई/181/2021/642 दिनांक 02.03.2021 द्वारा दी जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाना प्रतिबन्धित है। जिला रसद अधिकारी टोंक के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
राज्य अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner